

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 141]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 31, 1975 ज्येष्ठ 10, 1897

No. 141]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31, 1975/JYAISTHA 10, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi the 31st May 1975

G.S.R. 312(E)/ESS.COM/GUR.—In exercise of the powers conferred by clause 4 of the Gur (Regulation of Use) Order 1968, the Central Government hereby authorises all Excise Officers not below the rank of Sub-Inspectors of Excise in the Union Territory of Goa Daman and Diu to exercise the powers conferred by the said clause within their respective jurisdiction and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food), No G.S.R. 993/Ess Com/Gur, dated the 23rd May, 1968, namely —

In the said notification, after item (xxiv) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted namely:—

1

2

“(xxv) All Excise Officers not below the rank of Sub-Inspectors of Excise in the Union territory of Goa, Daman and Diu.

Within their respective jurisdiction in the Union territory of Goa, Daman and Diu.”

[No 9-1/74S.PY]

S V SAMPATHI, Jt Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 1975

सा० का० नि० 312(अ) आवश्यक वस्तु/गुडू.—(उपयोग का विनियमन) आदेश, 1978 के खंड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में सभी उत्पाद शुल्क अधिकारियों को जो उप-उत्पाद शुल्क निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के नहीं हैं अपने अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उक्त खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है, और केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 993/आवश्यक वस्तु/गुडू, तारीख 23 मई, 1968 निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में मद XXIV और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि रखी जायगी, अर्थात्—

1

2

“(25) गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में सभी उत्पाद शुल्क अधिकारी जो उत्पाद शुल्क निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के नहीं हैं।	गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्राधिकार के भीतर।”
---	--

[सं० 9-1/74 एस० पी० वाई०]

एस० वी० सम्पथ, संयुक्त सचिव।